

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर(म.प्र.)

क्र/स्था/राज/इसईपीएम/2024 3253

जबलपुर, दिनांक 5/04/2024

// सीमित विज्ञप्ति //

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश फा क्र.15/एमसीसी रिफरेंस/ लो.स./2024/4699, भोपाल दिनांक 01/04/2024 से प्राप्त अनुमति एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र.एफ1-3/2018/55-2, दिनांक 26/05/2018, आदेश क्र. एफ1-3/2018/55-2, दिनांक 01/03/2019, एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के जापन क्र.एफ2-57/2018/55-1, दिनांक:06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 एवं कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के जापन क्र.5528/स्था/राज/2018, दिनांक 11/09/2018 के अनुक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन के प्राध्यापक (डायरेक्टर) के पद की पूर्ति सीधी भर्ती अथवा सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा किया जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 30/04/2024 सायं 05:30 बजे तक

प्राध्यापक (डायरेक्टर)

क्र.	पदनाम									योग
1	प्राध्यापक (डायरेक्टर)	UR		ST		SC		OBC		-
		सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	
		00	01	00	00	00	00	00	00	

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC - अनुसूचित जाति ST - अनुसूचित जनजाति OBC - अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

  
Dean  
Medical College, Jabalpur

नोट:-1 भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट [www.nscbmc.ac.in](http://www.nscbmc.ac.in) पर उपलब्ध करायी जा रही है ।

2. विज्ञापित पद के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गये शासकिय निर्णय के अधीन नियुक्ति/ पदोन्नतिया रहेगी ,एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे ।

3 स्कूल ऑफ एकसीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन के उपरोक्त प्रदर्शित पद की भर्ती की पूर्ति स्वीकृत अनुसूचि एवं रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती/ अथवा सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा कि जावेगी ।

4 साक्षात्कार की संभावित तिथि उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर जारी की जायेगी तथा ईमेल तथा फोन द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

5 आवेदन पत्र रजिस्टर डाक / स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता , ने.सु.च.बो.मेडिकल कॉलेज जबलपुर म.प्र.की आवक जावक शाखा में जमा कराये जा सकते है ।

6 आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से प्राध्यापक (डायरेक्टर) स्कूल ऑफ एकसीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.च.बो.मेडिकल कॉलेज जबलपुर हेतु आवेदन और आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

**वेतनमान:-**

क्र.	पदनाम	निश्चित मासिक वेतन
1	प्राध्यापक (डायरेक्टर)	Rs 350000 /-

टीप:- समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान /निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे ।

2.आयु सीमा न्युनतम अधिकतम  
प्राध्यापक (डायरेक्टर) 35 वर्ष 62 वर्ष

टीप:-आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आनेवाली 01 जनवरी को आधार मानकर गणना में ली जायेगी ।

3. आवेदन हेतु कोई ओवदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है ।

4. जाति प्रमाण पत्र:- आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा ।

  
Dean  
Medical College, Jabalpur

5. अर्हताएं:-

स. क्र.	अनुसूची 1 का स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य अर्हताएं								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								
1	2	प्राध्यापक (डायरेक्टर)	35 वर्ष	<p><b>As per TEQ regulation of MCI.</b></p> <p>1. Eligibility: Candidate should be eligible of the post of professor Either in:</p> <p>A. Tuberculosis &amp; Respiratory disease/pulmonary medicine (Broad speciality)</p> <p>OR</p> <p>B. Pulmonary medicine (super speciality)</p> <p>2. <b>A. Academic qualification For 1-A:</b> M.D.(TB &amp; Respiratory Diseases)/ M.D. (Medicine) with T.D.D.,D.T.D.or D.T.C.D./ M.D. (TB &amp; chest Diseases)</p> <p><b>B. Academic qualification For 1-B:</b></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">D.M. (pulmonary medicine)</td> </tr> <tr> <td>M.D. (Respiratory medicine)</td> <td>with 2 years special training in pulmonary medicine</td> </tr> <tr> <td>M.D. (peadiatrics)</td> <td>medicine</td> </tr> <tr> <td>M.D. (Gen. medicine)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Teaching &amp; Research Experiace:</b></p> <p>A. For 1-B: As professor in Tuberculosis and Respiratory Diseases/pulmonary medicine (Board Specialty).</p> <p>OR</p> <p>B. <b>For 1-B:</b> As professor in pulmonary medicine super-specialty).</p> <p>3. Publications: Four Reasearch papers in concerned subject/specialty-accepted/published in index/national journal on cumulative basis.</p> <p>4. As per the norms of MCI TEQ prevailing at the time of publication (First/second/corresponding)</p>	D.M. (pulmonary medicine)		M.D. (Respiratory medicine)	with 2 years special training in pulmonary medicine	M.D. (peadiatrics)	medicine	M.D. (Gen. medicine)		स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं।
D.M. (pulmonary medicine)													
M.D. (Respiratory medicine)	with 2 years special training in pulmonary medicine												
M.D. (peadiatrics)	medicine												
M.D. (Gen. medicine)													

1- अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।

2- साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

3- अन्य योग्यताएं जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

4- शैक्षणिक अर्हताएं वर्तमान में NMC के TEQ Gazette फरवरी 2022 अनुसार।

  
Dean  
Medical College, Jabalpur

## 6. निर्हर्ताएं

- विकृत चित्त होने वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- मानसिक अथवा शारीरिक दुर्बलता होने के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा करने पर किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने निर्धारित न्यूनतम आयु से (पुरुष वर्ग 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा कोई भी ऐसा महिला/ पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नि हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने / अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर ।
- कदाचरण संबंधी- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन के कम न हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत- शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे।

## 7 भर्ती की प्रक्रिया:-

7.1 रिक्त पदों की पूर्ती के लिए साधिकार समिति विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी।

7.2 रिक्त पदों की पूर्ती के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों नियत कर सकेगी।

7.3 चयन समिति मेरिट के आधार पर एवं मेरिट क्रम से अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी और यथा अनुसार वरीयता क्रम में नियुक्ति की जा सकेगी ।

7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेनी होगी ।

7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन हो जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की गई पूर्व सेवा अवधि एवं वेतन भत्तों का संज्ञान नहीं लिया जावेगा ।



Medical College, Jabalpur

7.6 किसी शासकीय महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्याग-पत्र देना होगा ।

#### 8 सेवा शर्तें:-

- I. चिकित्सा शिक्षक के लिए निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा ।
- II. वार्षिक वेतन-वृद्धि समय-समय पर शासन के नियमानुसार होगी ।
- III. भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम अधिकारी पात्र अनुसार देय होगा ।
- IV. विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर एवं एक बार देश के बाहर वायुयान किराया, दैनिक भत्ता एवं वर्कशॉप/सेमिनार शुल्क दिया जायेगा
- V. सुपरस्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्य धारित अन्य पारिश्रमिक सुपरस्पेशलिटी सेवा शर्त अनुसार होगी ।
- VI. चिकित्सा शिक्षक को एक वर्ष की सेवा देने के लिए बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा एक वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में छः माह का वेतन सुपरस्पेशलिटी अस्पताल/स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन में जमा करना होगा ।
- VII. साधिकार समिति चिकित्सक को चार माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगा ।
- VIII. अवकाश, आचरण, एवं अधिवार्षिकीय आयु के संबंध में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे ।

शेष जो शर्तें मध्यप्रदेश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम-2018 में निहित हैं वे लागू होंगी। जिनका अवलोकन संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in/](http://www.medicaleducation.mp.gov.in/) नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट [www.nscbmc.ac.in](http://www.nscbmc.ac.in) पर किया जा सकता है ।

9 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:- नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांक 30/04/2024 सांयकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए । आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं । आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में ..... संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।


11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

12. नियुक्ति संबंधी समीचीन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों/ पदोन्नतियां रहेगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध के अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे ।

  
Dean  
Medical College, Jabalpur

13 उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट [www.nscbmc.ac.in](http://www.nscbmc.ac.in) पर उपलब्ध है ।

**महत्वपूर्ण टीप-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदन अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन भरे । चयन के किसी भी स्तर आवेदक अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी । चयन होन पर कार्यभार ग्रहण के समय निर्हताएं संबंधी बिन्दु क्रमांक 6 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अधिष्ठाता  
Medical College, Jabalpur  
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज  
जबलपुर म.प्र.

## आवेदन का प्रारूप

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय जबलपुर के .....पद पर नियुक्ति  
हेतु आवेदन-पत्र

( अंतिम तिथि / / )

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष / महिला (Please Tick) 

M		F	
---	--	---	--
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

शहर का नाम..... Pin Code.....

मोबाइल नं 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. स्थाई पता.....

शहर का नाम..... ईमेलआईडी.....

मोबाइल नं 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)रु.....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक 01/01/2024 को आवेदक की आयु .....दिन ..... माह ..... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक- .....
11. वर्ग: अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....

अ. (एम.बी.बी.एस.)-

ब. एमडी-

Dean स डी एम-

Medical College, Jabalpur

// 02 //

13. शैक्षणिक योग्यताएँ:-(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/DM/DNB						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

16. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या .....

स्थान.....  
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर



//घोषणा-पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

  
Dean  
Medical College, Jabalpur